न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 141/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा– शाहपुरा

———प्रार्थी

बनाम

1.मै0 नयना फ्यूल इण्डस्ट्रीज प्रो0 जितेन्द्र कुमार काबरा पिता दुर्गाप्रसाद काबरा निवासी फैक्ट्री–डूंगरी चौराहा, ग्राम ढीकोला भीलवाड़ा रोड़, त0शाहपुरा
द्वितीय पता–श्री जितेन्द्र कुमार काबरा नि0 प्लॉट नं0 13 मुख्य डाकघर के पास, विकास नगर, आसीन्द रोड़, शाहपुरा
2.श्री कैलाशचन्द्र पिता चन्दनमल काबरा निवासी विकास नगर, डाकघर के पास, आसीन्द रोड़, शाहपुरा
3.श्रीमती कमलादेवी पत्नि दुर्गाप्रसाद काबरा निवासी विकास नगर, डाकघर के पास, आसीन्द रोड़, शाहपुरा
4.श्री देवकरण पिता काना चमार निवासी बीलिया त0 शाहपुरा
5.श्री अविनाश पिता कन्हैयालाल जीनगर निवासी सदर बाजार, शाहपुरा
6.श्री कन्हैयालाल पिता हरजी बैरवा निवासी सारांश पो0बीलिया त0शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थितः– श्री भानुप्रकाश मिश्रा –अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 14/08/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा– शाहपुरा त0 करेड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थी संख्या 06 श्री कन्हैयालाल पिता हरजी बैरवा निवासी सारांश पो0 बीलिया त0 शाहपुरा के द्वारा अपने खातेदारी की ग्राम ढीकोला की आ0नं0 5736/394 रकबा 0.29 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर 2400 वर्गमीटर भूमि

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

का प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 9/10 दिनांक 03.12.2010 से स्वामित्व प्राप्त कर उक्त संपरिवर्तित रकबे को मैं0 नयना फ्यूल इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री जितेन्द्र कुमार पिता दुर्गाप्रसाद काबरा निवासी प्लॉट नं0 13 मुख्य डाकघर के पास, विकास नगर,आसीन्द रोड़, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के पक्ष में भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है को रहन रखा गया। उक्त आवासीय सम्पत्ति/भवन जो कि अप्रार्थी संख्या 06 के स्वामित्व की होने से रहन रखा गया । अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:–

1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा